

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय,
प्रयागराज।

कार्यालय आदेश (73/2021)

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है:-

प्रधान कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज में मुख्यालय नियंत्रित, मुख्य विधि सहायक, लेवल-7, 60% पदोन्नति कोटा के अंतर्गत चयन के उपरान्त इस कार्यालय की समसंख्यक सूचना दिनांक 23.03.2021 द्वारा मुख्य विधि सहायक, लेवल-7, के पद पर पदोन्नति हेतु प्रोविजनल पैनल पर रखे गये निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने अंकित कार्यस्थल पर पदोन्नति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम /सर्व श्री	वर्तमान पदनाम एवं लेवल	वर्तमान कार्य स्थल	पदोन्नति के बाद पदनाम एवं लेवल	पदोन्नति पर कार्यस्थल
1.	सुनील कुमार (एससी)	मुख्य वाणिज्य लिपिक लेवल-6	दादरी, प्रयागराज मंडल	मुख्य विधि सहायक, लेवल-7	झांसी मंडल

यह पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन है:-

- यदि कर्मचारी के विरुद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाही चल रही है अथवा कर्मचारी प्रभावी शास्ति के अंतर्गत हो तो कर्मचारी को पदोन्नत न किया जाए एवं इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाए।
- ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में निर्णयों पर निर्भर करेगा।
- पदोन्नति कर्मचारी नियम 1313(एफ आर-22) (1)(ए)। आर।। के अनुसार वेतन निर्धारण के पात्र है। यदि कर्मचारी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण वेतनमान में वेतन वृद्धि तिथि से चाहता हो तो अपना विकल्प निर्धारित प्रोफार्मा में एक माह के अंदर उचित माध्यम से इस कार्यालय में भेजे। निर्धारित अवधि उपरांत प्राप्त विकल्पों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यह आदेश रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2006-E(SCT)/I/25/8 Dated 30-09-2016 (RBE No. 117/2016) जिसमें यह वर्णित है कि आरक्षित वर्ग की पदोन्नति से संबंधित अवमानना याचिका और स्पेशल लीव पेटिशन (SLPs)माननी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अतः यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निर्णय के अनुसार परिवर्तनीय होंगे।
- उपरोक्त पदोन्नति आदेश प्रोविजनल है और किसी भी स्तर पर परिवर्तन करने के लिए प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा।
- उपरोक्त पदोन्नति आदेश कर्मचारी के निर्धारित पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा।
- उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस कार्यालय को अवगत कराने की व्यवस्था करे।

(ब्रजेश कुमार चतुर्वेदी)
वरि. कार्मिक अधिकारी/आईआर
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक।
दिनांक 25.03.2021

पत्र सं. [797-ई/उमरे/स्था./विधि सहा/चयन/18](#)
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, अपर महाप्रबन्धक/उमरे/प्रयागराज।
2. सचिव, मुख्य कार्मिक अधिकारी/उमरे/प्रयागराज।
3. प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/उमरे/प्रयागराज।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/आईआर/उमरे/प्रयागराज।
5. मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक/उमरे/झांसी, प्रयागराज एवं आगरा।
6. उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्या/राज/निर्माण/आईआर/उमरे/प्रयागराज।
7. अध्यक्ष/आरआरसी/उमरे/प्रयागराज।
8. वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी/उमरे/प्रयागराज, आगरा एवं झांसी।
9. वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक/उमरे/प्रयागराज।
10. वरि. विधि अधिकारी/उमरे/प्रयागराज।
11. महामंत्री/एनसीआरएमयू/एनसीआरईएस/उमरे/प्रयागराज।
12. जोनल सचिव/एस.सी./एसटी/ओबीसी/उमरे/प्रयागराज।
13. संबंधित कर्मचारी